श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2017 को अपराह्न 03.30 बजे आयोजित खनन विभाग की रॉयल्टी सम्बन्धी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा बैठक पंजी।

सर्व प्रथम जिला खनन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न कार्य विभागों से गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (23.03.17 तक) में प्राप्त रॉयल्टी की राशि की विवरणी प्रस्तुत की गयी। तदोपरान्त विभागवार प्राप्त राशि के संबंध में समीक्षा की गयी एवं स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

1. <u>ग्रामीण कार्य प्रमंडल, खगड़िया :–</u>

समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में 76.10 लाख रूपये जमा की गयी थी एवं चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 38.31 रूपये जमा की जा चुकी है।

2. <u>ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोगरी :–</u>

बैठक में कार्यपालक अभियंता उपस्थित नहीं थे। प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में 34.49 लाख एवं चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 21.11 लाख रूपयें जमा की गई है। सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर बातें हुई है तथा उन्होंने बताया है कि 54 लाख रूपये का डी0डी0 भेजा जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अविलम्ब वांछित राशि खनन कार्यालय के उपलब्ध कराये।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोगरी)

3. <u>जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान :–</u>

गत वित्तीय वर्ष में 30.71 लाख एवं चालू वित्तीय वर्ष में अवतक 5.54 लाख रूपये जमा किये गये हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। DPO (SAA) को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब खनन विभाग को रॉयल्टी से संबंधित राशि उपलब्ध कराये।

(अनुपालन – जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान)

4. <u>पथ प्रमंडल, खगड़िया :–</u>

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गत वर्ष एम0डी0 में रखी गयी राशि 10863289 रू0 थी एवं 10824691 रूपये जमा की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में एम0डी0 में रखी गयी राशि 4890169 रू0 थी एवं 3363126 रूपये 24.03.20147 तक जमा की जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि रॉयल्टी जमा करने संबंधी मासिक लेखा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जाता है।

5. <u>NHAI :–</u>

समीक्षा के क्रम में NHAI पुंज लॉड Constraction के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बेगूसराय एवं खगड़िया जिला को मिला कर 50.00 लाख रूपये जमा करेंगे। सहायक खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खगड़िया जिला को कितनी राशि इनके द्वारा दी जायेगी इस संबंध में इनसे नियमानुसार गणना कर स्पष्ट हो लेंगे।

(अनुपालन– जिला खनन पदाधिकारी, खगड़िया)

6. <u>भवन प्रमंडल, खगड़िया :–</u>

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गत वर्ष 8.29 लाख स्पष्ट एवं चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 7.32 लाख रूपये जमा की गयी है।

7. <u>पुल निर्माण निगम, खगड़िया :–</u>

समीक्षा के क्रम में पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 34.15 लाख रूपये जमा की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि अब और रॉयल्टी की राशि घटेगी क्योंकि खनन विभाग द्वारा Form-M लेकर ही रॉयल्टी काटने का निदेश दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में जो पत्र उपलब्ध है उसकी प्रति जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, खगड़िया)

8. <u>स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया :–</u>

समीक्षा के क्रम में इस विभाग के कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे जिसके कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

9. <u>बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, खगड़िया :–</u>

कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रॉयल्टी मद की राशि Book Transfer होती है तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजा जाता है।

10. <u>बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, खगड़िया :–</u>

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Book Transfer के माध्यम से ही रॉयल्टी की राशि जमा की जाती है एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजा जाता है।

सभी विभागों के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि रॉयल्टी मद में जो भी राशि जमा कर दी जाती है उसके संबंध में प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सहायक खनन पदाधिकारी को भी निदेशित किया गया कि वे संबंधित विभाग के पदाधिकारी से सम्पर्क कर जमा की गयी राशि का ब्योरा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला खनन पदाधिकारी, खगड़िया)

11. <u>पी0एच0ई0डी0, खगड़िया :–</u>

बैठक में कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति के कारण उनके विभाग के संबंध में समीक्षा नहीं की जा सकी।

12. <u>मनरेगा :–</u>

समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि रॉयल्टी की राशि दिनांक–28.03.2017 तक जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, मनरेगा)

13. <u>प्रखंडों द्वारा जमा की जानेवाली राशि :–</u>

बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि काटी गयी रॉयल्टी की राशि दो दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया)

सहायक खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो कार्य एजेन्सी रॉयल्टी की राशि का भुगतान नहीं करते हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला खनन पदाधिकारी को इसे अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

सहायक खनन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे सभी कार्य विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– जिला खनन पदाधिकारी, खगड़िया)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 735 /गो0, दिनांक 28-03-17

प्रतिलिपि : सभी कार्य विभागों के पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी, बेगूसराय–सह–खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।